न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2019/00132 (132/2019) 125 आरटीएक्ट

1. पुष्पादेवी पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रामावतार पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. पंकज पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पुष्पादेवी पत्नी स्व श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. भावना पुत्री स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पुष्पादेवी पत्नी स्व श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. मनीराम पुत्र स्व0 श्री हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुंरूसर तहसील व जिला हनुमागढ।
2. सतपाल पुत्र स्व श्री हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सुमन देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. रविकुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. नरेश पुत्र स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. इन्द्राज पुत्र स्व0 श्री हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. कमला पत्नी हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. स्टेट ऑफ तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.04.2016 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ मु. नं. 183/2016 बअनवानी मनीराम बनाम सतपाल आदि

श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web copy - Not official

श्री भवानी सिंह रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 8
श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 9

निर्णय दिनांक –14.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद में वर्णित भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें से चक एसएसडब्ल्यू ''ए' 8 क खाता संख्या 27/23 की प. नं. 347/285 का किला नं. 1 की भूमि उसकी खरीद की हुई है वादी कब्जा काश्त में है। इस भूमि सम्बन्धम प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने व्यर्थ मुकदमेबाजी की हुई है और इस मुकदमाबाजी में दबाव बनाने के लिए वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने तथा किलाना नं. 1 से 4 में चल रहे रासता को बन्द करने व किला नं. 5 में विधि विरूद्ध निर्माण करने पर उतारू हैं। इस वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 5 (क) में वर्णित 1.1942 है. भूमि का खाता विभाजन वादी के पक्ष में करने व रकमराज अलग कायम करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष वादी ने वादपत्र में मांगा। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी की, विभाजन प्रस्ताव आने पर विभाजन पर आपत्तियां आने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई विधि विरूद्ध, गलत, अनुचित व मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 8 का स्व0 श्री जगदीश की भूमि में कोई हक ना मानकर अहम विधिक भूल की है। अपीलाण्ट के पति व पिता सुरेन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए घरू बंटवारा में प. नं. 146/285 के किला नं. 1 ता 5 कुल 1.265 है. भूमि का खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया था वादी व प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को मात्र 1.220 है. भूमि का खाता तकसीम की डिक्री पारित की है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को प. नं. 146/285 किला नं. 5/0.045 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जबकि किला नं. 5 की शेष भूमि 0.045 है.। विचारण न्यायलाय ने अपीलाण्ट क नाबा.ग के हितों को ध्यान में न रखते हुए डिक्री पारित की है। अपीलाण्ट के पति व पिता की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी वादी व

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

अन्य प्रतिवादीगण ने आपस में मिलीभगत कर छुपे तौर पर अपीलाण्ट के हिस्से से कम की डिक्री जारी करवाई है। विभाजन प्रस्ताव में रास्ता, खाला, एवं कब्जे के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया था लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाकर अहम कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट संख्या 1 औरज जात है व अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 नाबालिग हैं अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को हिदायत दे रखी थी कि आपके प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपकी जरूरत होगी तो आ को सूचित कर दिया जावेगा, इस कारण अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आती थी। जमाबंदी की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का के पास गई तो पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दी तब अपीलाण्ट न न्यायालय हाजा में आकर अपना नया अधिवक्ता नियुक्त पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। डिले कन्डोन की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 20108 (1) पेज 601, आरआरटी 2017 (2) पेज 1104, आरआरटी 2016 (2) पेज 966 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर व उनकी आपत्तियों पर विचार करते हुए अंतिम विभाजन की डिक्री परित की है इस डिक्री के अन्तर्गत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को प. नं. 146/285 के किला नं. 21 ता 25 की 5 बीघा भूमि उसके वैध हिस्सा अनुसार विभाजन में प्राप्त हुई है तथा राजस्व अभिलेख में यह भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज है व कब्जा काश्त में है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 एक लघू कृषक है तथा उसके पास काश्त योग्य सही भूमि है। इस कृषि भूमि पर कृषि फसली ऋण प्राप्त करने का रेस्पेडेण्ट को विधिक अधिकार है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपील में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान 08.07.2019 को होना के कथन अपीलाण्ट ने मिथ्या किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.07.2013 को पारित की थी तथा प्राथमिक डिक्री पारित की थी तथा प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरानत तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये थे। इसके आधार पर अंतिम निर्णय पारित किया गया है। इस निर्णय व डिक्री का अपीलाण्ट को भली भांति ज्ञान है तथा इस डिक्री के निष्पादन में अपीलाण्ट व शेष रेस्पोडेण्ट ने रजास्व अभिलेख में अमलदरामद करवाया है। किला नं. 5 में स्थित श्री श्याम मंदिर व ट्यूबवैल की भूमि 0.045 है. में स्व0 श्री हरीराम के पांचों पुत्रों मनीराम सतपाल, जगदीश, इन्द्राज व सुरेन्द्र के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने के आदेश फरमाये हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

तथा उक्त 0.045 है. भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का भी 1/5 हिस्सा है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 8 ने मुझ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को उक्त किला नं. 5 में 0.045 है. में स्थित मंदिर श्री श्याम जी की सेवा, पूजा, अर्चना में व्यवधान डालने की गर्ज से व इस मंदिर में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का भी सेवा, पूजा अर्चना को हक व अधिकार होने के तथ्य को नकारने की गर्ज से यह अपील असद्भावना पूर्व व मियाद बाहर प्रस्तुत की है गई है। अपीलाण्ट आज भी अन्तिम विभाजन की डिक्री में पारित अपने घोषित हक व हिस्सा की कृषि भूमि किला नं. 1 से 4 व किला नं. 5 की 0.208 है. कुल 1.220 है. भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं तथा मुझ रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कब्जा काश्त में प. नं. 146/285 के किला नं. 21 से 25 कुल 5 बीघा भूमि है। अपीलाण्ट ने अपील लगभग 3 वर्ष 3 माह के बाद प्रस्तुत की है देरी का कोई कारण कथित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी नव. 2006 पेज 713, आरआरडी 14.4.2012 पेज 272, आरआरडी 14.11.2012 पेज 743 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र में अंकित आधारों एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।
7. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं विभाजन का वाद रेस्पोडेण्ट 1 ने प्रस्तुत किया था। वादी और प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के हरिराम के नाम चक चक 10 एसएसडब्ल्यू ''ए'' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 52/53 प. नं. 146/285 (7) किला नं. 1 से 25 तादादी 25 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज है। रेस्पोडेण्ट ने वाद की चरण संख्या –5 (क) में वर्णित 1.1942 है. भूमि का खाता विभाजन वादी के पक्ष में फरमाये जाने का अनुतोष मांगा था तथा प. न. 146/285 के किला नं. 1 से 4 में चालू रास्ता को बन्द नही करने व किला नं. 5 के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग एवं वादी के आवागमन में बाधा कारित करते हुए कोई निमार्ण कार्य नही करने का अनुतोष मांगा है। उभयपक्ष के मध्य विवाद किला नं. 5 की 0.045 है. भूमि के संबंध में है जिस पर श्याम मंदिर बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने किला नं. 5 की 0.208 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से में डिक्री करते हुए शेष 0.045 है. नहरी भूमि में श्याममंदिर व ट्यूबवैल लगा है को वादी मनीराम एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 सतपाल, जगदीश, इन्द्राज व सुरेन्द्र के नाम यथावत रखा है। प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा मय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काउण्टर क्लेम पेश किया था कि किला नं. 1 ता 5 सुरेन्द्र कुमार प्रतिवादी सं0 4 को पिता के जीवनकाल में बंटवारा में दिया गया था तथा सतपाल प्रतिवादी नं. 1 को किला नं. 6 ता 10, जगदीश प्रतिवादी नं. 2 को किला नं. 11 ता 15 इन्द्राज प्रतिवादी नं. 3 को किला नं. 16 ता 20 तथा मनीराम वादी को किला नं. 21 ता 25 पिता के जीवनकाल में बंटवारे में दिये गये थे। इस अनुसार विभाजन करने पर सभी की भूमि को रास्ता उपलब्ध हो जाता है। अन्य पक्षकारों को 1.265 है. भूमि विभाजन में दी गई है। जबकि अपीलाण्ट को 1.220 है. भूमि दी गई है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में 1.265 है. भूमि का हक हिस्सा है लेकिन उसको केवल 1.220 है. भूमि दी गई है । किला नं. 5 की 0.208 है. भूमि दी गई एवं इस किला की शेष भूमि 0.045 है. वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में डिक्री जारी की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलण्ट को उसके हिस्से से कम भूमि दी गई है। इस प्रकार अपीलाण्ट नाबालिक के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वीकार की जाकर सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.04.2016 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 को चक 10 एसएसडब्ल्यू 'ए' के प. रं. 146/285 किला नं. 5/0.045 है. नहरी में श्याममन्दिर है एवं ट्यूबवैल लगा है की हद तक निरस्त किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 4 सुरेन्द्र कुमार के वारिसान के नाम चक 10 एसएसडब्ल्यू 'ए' के प. रं. 146/285 किला नं. 5/0.045 है. नहरी में श्याममन्दिर है एवं ट्यूबवैल लगा है दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील सं. 2019/00132 (132/2019) 125 आरटीएक्ट

1. पुष्पादेवी पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रामावतार पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. पंकज पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पुष्पादेवी पत्नी स्व श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. भावना पुत्री स्व0 श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पुष्पादेवी पत्नी स्व श्री सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

—: बनाम :—

1. मनीराम पुत्र स्व0 श्री हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुंरूसर तहसील व जिला हनुमागढ।
2. सतपाल पुत्र स्व श्री हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सुमन देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. रविकुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. नरेश पुत्र स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. इन्द्राज पुत्र स्व0 श्री हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. कमला पत्नी हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. स्टेट ऑफ तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.04.2016 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ मु. नं. 183/2016 बअनवानी मनीराम बनाम सतपाल आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री भवानी सिंह रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 8, श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 9, पेश होकर हुक्म हुआ है कि पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वीकार की जाकर सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.04.2016 एवं डिक्री दिनांक 12.04.2016 को चक 10 एसएसडब्ल्यू 'ए' के प. रं. 146/285 किला नं. 5/0.045 है. नहरी में श्याममन्दिर है एवं ट्यूबवैल लगा है की हद तक निरस्त किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 4 सुरेन्द्र कुमार के वारिसान के नाम चक 10 एसएसडब्ल्यू 'ए' के प. रं. 146/285 किला नं. 5/0.045 है. नहरी में श्याममन्दिर है एवं ट्यूबवैल लगा है दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.10.2019 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: